सं.सीबीएसई/कार्मिक-ए/7वें सीपीसी/2017/602-09 दिनांक : 24.07.2017

अधिसूचना

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन सं. 21/5/2017-ई.II(बी) और 12(4)/2016-ई-111 ए. दिनांक 07.07.2017 के अनुसरण में, परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता प्रदान करने के लिए तथा परिवार नियोजन भत्ते को बंद करने के लिए 7वें सीपीसी के सिफारिश को बोर्ड में कार्यान्वित करने के लिए 01.07.2017 से अंगीकृत किया गया है।

इसके अलावा, बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/यूनिटों/उ.कें. से किसी शर्त में छूट दिए बिना उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में दिए गए निर्देश का पूर्ण कार्यान्वयन तथा पूर्णत: सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है।

यह बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।

हस्ता/

(अजय मिश्रा)
संयुक्त सचिव (प्रशा एवं विधि)

वितरण :-

1. अध्यक्ष, सीबीएसई के कार्यपालक अधिकारी
2. सीबीएसई सचिव के वरिष्ठ निजी सचिव
3. सीबीएसई सभी निदेशक/विभागाप्रमुख के प्रधान निजी सचिव
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/यूनिट/उ.कें.
5. सीबीएसई, मुख्यालय दिल्ली, के डीडीओ
6. बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय/प्रकोष्ठ/उ.कें. सभी डीडीओ
7. स्क्रैप फाइल
8. सूचना पट्ट